न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
01/2025	अपील 75 LRA	13.01.2025	18.02.2025

इदु खान पुत्र बन्ने खा, जाति कामयखानी, निवासी ग्राम सहनाली बड़ी, तहसील व जिला चूरू
–अपीलाण्ट–

बनाम

1. ग्राम पंचायत श्योपुरा, तहसील व जिला चूरू ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला चूरू

–रेस्पोडेण्ट्स–

अपील विरूद्ध खारिजी निर्णय आदेश प्रस्ताव
ग्राम पंचायत श्योपुरा नामान्तरण संख्या 554. दिनांक
22.08.2024 बमुराद मंसूखी उपरोक्त निर्णय

उपस्थित –
1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र राजपुरोहित अपीलाण्ट
2. अधिवक्ता श्री संजय सिहाग रेस्पोडेण्ट सं. 1
3. पैरोकार राज

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से पेश अपील से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से हैं कि

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामातंरण संख्या 52न दिनांकित 22.08. 5546 2024 गलत रूप से अस्वीकृत कर विधिविरुद्ध जाकर खारिज किया गया है, जो जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य अपास्त किया जाये।

2. यह कि अपीलान्ट द्वारा कृषि भूमि खसरा संख्या–368 तादादी 1.0623 हैक्टेयर, खसरा संख्या–386 तादादी 2.2890 हैक्टेयर, खसरा संख्या–972/440 तादादी 1.5176 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या–973/440 तादादी 2.5799 हैक्टेयर कुल किता 04 की कुल तादादी 7.4488 हैक्टेयर कृषि भूगि ग्राम ढ़ाणीलालसिंहपुरा, पटवार गण्डल श्योपुरा भू.अ.नि.क्षे. रतननगर, तहसील व जिला चूरू में से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 04.07.2024 को उपपंजीयक कार्यालय चूरू के पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 626 में पृष्ठ संख्या 139, क्रम संख्या 202403337103347 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या । जिल्ट संख्या 2229 के पृष्ठ संख्या 335 से 343 पर चस्पा किया जाकर उक्त कृषि भूमि में से 113/589 हिस्सा (1.42905 टैक्टर) कृषि मुनि खरीद कर कब्जा अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया गया है।

3. यह कि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्ष पैरा संख्या ०१ में वर्णित कृषि भूमि खरीद कर नामातरण हेतु रेस्पोडेंट संख्या 02 के यहां आवेदन दिया गया जिसे रिस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा हल्का पटवारी से जांच करवाई जाकर नार्मातरण हेतु रिल्पोडेंट संख्या 01 के यहां पेश किया गया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत श्योपुरा द्वारा गलत रूप से विधिविरुद्ध जाकर खारिज किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है, अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:27:47 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि अपीलान्ट द्वारा [illegible] पेश किये जाने पर हल्का पटवारी एवं आई.एल.आर. हल्का की रिपोर्ट का [illegible] अवलोकन किये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से यह कहते हुए कि वारिसान की सूचि [illegible] नहीं बताई एवं जाँच [illegible] नहीं होने पर

अभिलार्थी का आवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु पेश किये जाने का अनुमोदन कर आगामी वैठक से पूर्व अपीलार्थी को वैठक से पूर्व दिनांक 22.08.2024 को विधि विरुद्ध तरीके से अपीलार्थी को साक्ष्य सुनवाई का बिना अवसर दिये अस्वीकृत किया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा रिकॉर्डेड खातेदार से विधिसम्मत तरीके से विक्रय मुल्य अदा कर सदभाविक क्रेता के रूप में विक्रय पत्र पंजीयन करवाया जाकर खरीद कि गई है। अपीलार्थी विधिवत् रूप से खरीद की गई कृषि भूमि का नामांतरण दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। जिस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है, अपास्त किया जावे।

5. यह कि अधीनस्य न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में कोई समुवित कारण अंकित व कर मनमाने तरीके से वारिसान की सूचि सही नहीं होने एवं जाँच खिलाफ होने से उसका आदेश जैर अपील अपारत किये जाने योग्य है अपारत किया जाये।

6. यह कि अधीनस्य न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की अपीलान्ट को जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा निर्णय आदेश एवं सम्बन्धित स्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन करने पर अपीलार्थी को दिनांक 08.01. 2025 को दस्तावेज प्राप्त होने पर अपील अविलम्ब श्रीमानजी के समक्ष अपिल पेश की जा रही है।

7. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपारत किये जाने पर रेस्पोडेंट संख्या–02 के माध्यम से नामांतरण तस्दीक किया जाना है। जिस हेतु रेस्पोडेंट संख्या 02 को पक्षकार संयोजित किया गया है।

8. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत श्योपुरा पंचायत समिति चूरू माननीय व्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने व अधीनस्थ न्यायालय की अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद उचित न्याय शुल्क पर श्रीमानजी के समक्ष पेश की जा रही है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकर एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता हेमसिंह ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत जवाब निम्नानुसार है।

श्रीमानजी अपिलांट द्वारा कृषि भूमि खसरा संख्या–368 तादादी 1.0623 हैक्टेयर, खसरा संख्या–386 तादादी 2.2890 हैक्टेयर, खसरा संख्या–972/440 तादादी 1.5176 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 973/440 तादादी 2.5799 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल तादादी 7.4488 हैक्टेयर ग्राम ढ़ाणी लालसिंहपुरा पटवार मण्डल श्योपूरा भू.आनि.नि.क्षे. रतननगर तहसील व जिला चूरू के खातेदार रफीक पुत्र हाजी इब्राहीम निवासी चूरू का 113/589 हिस्सा कृषि भूमि चली आ रही थी जिसे प्रार्थी इदू खां द्वारा जरिये विक्रय–पत्र दिनांकित 04.07.2024 उप पंजियक कार्यालय चूरू के खरीद की गई थी जिसके नामान्तरण हेतु प्रार्थी द्वारा आवेदन किया गया था जिसका इन्तकाल सं. 554 आदेश दिनांकित 22.08.2024 ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत संवहनिय भूलवंश अस्वीकृत कर दिया गया था उक्त आदेश अपास्त कर प्रार्थी के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक करने का आदेश जारी करने की ग्राम पंचायत द्वारा अनुसंशा की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:27:47 IST
Reason: SelfAttested

जिस पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस ... बहस में अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपील व रेस्पोडेण्ट्स में अंकित तथ्यों को दोहराया ... पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह अपील इदु खान द्वारा ग्राम पंचायत श्योपुरा, तहसील चूरू और राजस्थान सरकार के खिलाफ दायर की गई है। अपील में अपीलार्थी का मुख्य आरोप यह है कि 22.08.2024 को ग्राम

पंचायत श्योपुरा द्वारा नामांतरण आवेदन को गलत तरीके से खारिज किया गया था। अपीलार्थी ने कृषि भूमि खरीदी थी, जिसका नामांतरण आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसे अस्वीकृत कर दिया गया।

नामांतरण खारिज करने की प्रक्रियाः अपीलार्थी ने कहा कि ग्राम पंचायत श्योपुरा द्वारा नामांतरण की प्रक्रिया को बिना उचित कारण के खारिज कर दिया गया, जिससे विधिविरुद्ध निर्णय हुआ। अपीलार्थी का यह दावा है कि उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत ने बिना सही जांच के और बिना किसी ठोस कारण के उसका नामांतरण आवेदन अस्वीकृत कर दिया। रेस्पॉन्डेंट्स का यह कहना था कि अपीलार्थी द्वारा खरीदी गई भूमि का नामांतरण प्रक्रिया सही नहीं थी और इसके लिए आवश्यक जानकारी/प्रमाण पत्र सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किए गए थे। ग्राम पंचायत ने नामांतरण खारिज किया था, क्योंकि जांच में कुछ कमियाँ पाई गई थीं, जैसे वारिसान की सूची का सही न होना और कुछ अन्य दस्तावेजों की कमी। अपने जवाब में रेस्पोडेण्ट्स की ओर से ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत सहवनीय भूलवंश अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश को अपास्त कर प्रार्थी के पक्ष में इंतकाल के आदेश को तस्दीक करने का आदेश पारित किये जाने की अनुशंसाा की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण खारिज करने का निर्णय अपीलार्थी के अनुसार गलत था। अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि उसने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया था और विक्रय पत्र के तहत भूमि खरीदी थी, इसलिए उसे नामांतरण का अधिकार था। अपील में यह मांग की गई कि न्यायालय इस खारिजी आदेश को रद्द कर दे और ग्राम पंचायत को आदेश दिया जाए कि वह नामांतरण प्रक्रिया को पुनः शुरू करे। सभी तथ्यों की समीक्षा और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहूंचा है कि अपील को स्वीकार किया जाए और ग्राम पंचायत श्योपुरा द्वारा जारी खारिजी आदेश को रद्द किया जाए क्योंकि ग्राम पंचायत ने खारिजी आदेश में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है ।

नामांतरण प्रक्रिया को पुनः जांचने और उचित कदम उठाने के लिए ग्राम पंचायत को आदेश दिया जाए। न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि अपीलार्थी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पर्याप्त अवसर मिले और उसने सभी दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत किए थे। इस मामले में, न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय लिया, क्योंकि उसे लगता है कि खारिजी आदेश में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण ग्राम पंचायत श्योपुरा के नामान्तरण संख्या 554 आदेश दिनांक 22.08.2024 अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि अपीलाधीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 368, 386, 972/440, 973/440 रोही ग्राम ढाणीलालसिंह पुरा में विक्रय पत्र दिनांक 04.07.2024 की पुनः जांच कर उभय पक्ष को सुना जाकर पुनः आदेश पारित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:27:47 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू